न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

राजस्व अपील/225/रा.का.अधि./30/2025/बाड़मेर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंटगण
1. श्रीमती अणची पत्नी पाबूराम 2. चौथाराम पुत्र पाबूराम 3. देवाराम पुत्र पाबूराम 4. नीम्बाराम पुत्र पाबूराम 5. स्वरूपाराम पुत्र पाबूराम 6. सवाईराम पुत्र पाबूराम 7. करनाराम पुत्र जेठा 8. विशनाराम पुत्र जेठा 9. पेम्पो पत्नी जेठा 10. खेताराम पुत्र जेठा 11. हेमाराम पुत्र अमरा 12. खेताराम पुत्र अमरा 13. धापू पुत्री कालूराम 14. सुरजो पुत्री कालूराम 15. भंवरलाल पुत्र कालूराम 16. बालाराम दतक पुत्र लाखाराम 17. बरजू देवी पत्नी कालूराम 18. भोपाराम पुत्र पेमा 19. देवीलाल पुत्र पेमा 20. राणाराम पुत्र पेमा 21. सवाई पुत्र लाखा 22. नगा पुत्र लाखा 23. बन्नाराम पुत्र कुशला 24. मथरा पत्नी कुशला 25. रेवता पुत्र उदा के का. मु.– 25/1. सवाईसिंह पुत्र रेवताराम 25/2. खेताराम पुत्र रेवताराम 25/3. रमकूराम पुत्र रेवताराम		1. श्री सोनाराम पुत्री श्री पदमाराम, जाति जाट, निवासी पदमपुरा भणियाणा, तहसील भणियाणा, जिला जैसलमेर राज. फौत दिनांक 26.11.2022 वारिस 1/1. तगसिंह पुत्र सोनाराम 1/2. मानसिंह पुत्र सोनाराम 1/3. मगसिंह पुत्र सोनाराम, जातियान जाट निवासी पदमपुरा, तहसील फलसूण्ड, जिला जैसलमेर। **प्रफोरमा पक्षकार–** 2. भभूताराम पुत्र पदमाराम 3. भूराराम पुत्र पाबूराम 4. शेराराम पुत्र अमरा 5. जोगाराम पुत्र अमरा 6. गोकलाराम पुत्र अमरा 7. केशाराम पुत्र जेठा 8. जोगाराम पुत्र कुशला 9. मूलाराम पुत्र कुशला 10. नथूदेवी पुत्री अमराराम 11. टूगीदेवी पुत्री अमराराम 12. पुरोदेवी पुत्री पेमाराम, जातियान जाट, निवासीयान पदमपुरा, तह. फलसुण्ड, जिला जैसलमेर 13. शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टैट बैक शाखा, फलसुण्ड 14. भूमिधारी जरिये तहसीलदार, भणियाणा, वर्तमान तहसील

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
(बाड़मेर-जोधपुर)

25/4. नखताराम पुत्र रेवताराम 25/5. नोजीदेवी पत्नी रेवताराम	फलसुण्ड, जिला जैसलमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, भणियाणा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 310/2021 बउनवान सोनाराम के का. मु. वगैरह बनाम श्रीमती अणसीदेवी वगैरह में पारित आदेश दिनांक 22.05.2025 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थितः—

1. वकील श्री सुरेश कुमार पूनड़ अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री हरीराम चौधरी रेस्पो. संख्या 01 के वारिसान की ओर से।
3. शेष रेस्पों. बावजूद सूचना अनुपस्थित

—:निर्णयः—

दिनांकः—17.09.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण/रेस्पो. संख्या 01 द्वारा अपनी खातेदारी आराजी जो कि सरहद मौजा पदमपुरा, पटवार मण्डल पदमपुरा, भू—अभिलेख निरिक्षक फलसुण्ड तहसील भणियाणा के खसरा संख्या 721/2 में आवागमन हेतु अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251— ए के अन्तर्गत एक आवेदन पेश किया। उक्त आवेदन में हमारे पड़ोस में विप्रार्थीगण/अपीलांट्स के खातेदारी का खेत खसरा संख्या 719, 720 सहित प्रफोरमा पक्षकार संख्या 2 की खातेदारी भूमि खसरा सख्या 721/3 की भूमि जो प्रार्थीगण/रेस्पों. के खेत एवं सड़क के मध्य में पड़ता है ज़िस हेतु रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 14 प्रफोर्मा पक्षकार होने से अपीलांट द्वारा उक्त के विरूद्ध अनुतोष नहीं चाहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण/रेस्पो. संख्या 01 द्वारा अपने खातेदारी आराजी जो कि सरहद मौजा पदमपुरा, पटवार मण्डल

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पदमपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक फलसुण्ड तहसील भणियाणा के खसरा संख्या 721/2 में आवागमन हेतु अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251– ए के अन्तर्गत एक आवेदन पेश किया। उक्त आवेदन में हमारे पड़ोस में विप्रार्थीगण/अपीलांट्स के खातेदारी का खेत खसरा संख्या 719, 720 सहित प्रफोरमा पक्षकार संख्या 2 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 721/3 की भूमि जो प्रार्थीगण/रेस्पों. के खेत एवं सड़क के मध्य में पड़ता है जिस हेतु रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पों. संख्या 1 के घर से डामर सड़क तक आवागमन हेतु पूर्व में सीधा रास्ता उपलब्ध है जिसका उपयोग अपीलांट एवं अन्य रेस्पों. करते आ रहे हैं। जिसका उल्लेख हल्का पटवारी द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट दिनांक 25.08.2022 में भी किया गया है। उक्त रास्ता लघुतम दूरी का मार्ग होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन रास्ता जो अधिक लम्बा है को स्वीकृत किया है जो विधि संगत नहीं है। रेस्पों. संख्या 1/प्रार्थी द्वारा स्वयं के खेत खसरा संख्या 721 का बंटवारा बिना रास्ते के किया जाकर पड़ोसी खातेदार के खेत खसरा में से रास्ता चाहा जाना अविधिक है। खसरा संख्या 721/2 के खातेदार द्वारा अपनी खातेदारी का हस्तांतरण अपनी पुत्र वधुओं के नाम से कर उसमें से रास्ते हेतु भूमि का समर्पण भी कर दिया था एवं उक्त समर्पण की प्रति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गई थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समर्पण को अनदेखा करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधिक नहीं है। प्रस्तावित रास्ते से अपीलांट के खेत दो भागों में विभक्त हो रहा है जो विधि द्वारा वर्जित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विप्रार्थी खेतुदेवी पुत्री अमराराम, हरखू पत्नी अमराराम व रेवता राम पुत्र उदाराम के फौत होने के बावजूद भी उन्हें बतौर पक्षकार रखते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो मृत व्यक्ति के विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। साथ ही डीएलसी की दरों में बदलाव आ गया उस बदलाव के अनुसार अपीलांट को क्षतिपूर्ति राशि नहीं मिली थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वैकल्पिक रास्ता, जो निकटतम दूरी का होने के बाद भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए की मूल मंशा के विपरीत जाकर पारित किया गया है। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी के खसरा संख्या 721 का प्रार्थी/रेस्पों. सख्या 1 द्वारा बिना रास्ते की सुविधा के बंटवारा कवाया गया। बाद बंटवारा पडौसी खातेदारों से रास्ता प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है जो अविधिक है। उक्तानुसार समस्त कथनों एवं मौका रिपोर्ट से परे जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम जारी सम्मन पर अपीलांट की पर्याप्त तामील करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मजमे आम में उभयपक्ष की बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्टस/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने-जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई निकटतम वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अपीलांटस द्वारा अपनी अपील में बताये रास्ते के विकल्प प्रस्तावित रास्ते से कहीं अधिक दूरी के हैं। जहां तक डीएलसी की दरों का प्रश्न है उसके संबंध में निवेदन है कि डीएलसी दर विधि अनुसार मौका रिपोर्ट तैयार किये जाने वाले दिन तय की जाती है। इस अनुसार ही उक्त रास्ते की डीएलसी की दर तय की गई थी इसलिए अपीलांट के उक्त प्रश्न का कोई सार नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त प्रस्तावित रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251- ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा किया जा रहा है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में मौका रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलाधीन रास्ता अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट के तथ्यों पर बिना गौर किये ही पारित किया गया प्रतीत होता है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251-ए के मूल सिद्धान्तों के विपरीत प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय की मौका रिपोर्ट दिनांक 25.08.2025 में स्पष्ट अंकन है कि "संलग्न नक्शां में दर्शित वर्तमान में चालू रास्ता एबी एवं जी तक" मौका रिपोर्ट के उक्त कथनों को नजरअंदाज करते हुए वैकल्पिक निकटतम रास्ते की जगह अन्य प्रस्तावित मार्ग का आदेश पारित किया गया है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251-ए की मूल मंशा के विपरीत जाकर पारित किया गया प्रतीत होता है। रेस्पोडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आंवश्यकता है लेकिन रास्ते के लिए अन्य पक्षकार के जीवन में दुविधा पैदा करना भी विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए पारित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भणियाणा द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 310/2021 बउनवान सोनाराम के का. मु. वगैरह बनाम श्रीमती अणसीदेवी वगैरह में पारित आदेश दिनांक 22.05.2025 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि बाबत् कटाण/चलायमान एवं निकटतम रास्ते संबंधित वर्तमान मौका रिपोर्ट तलब कर वास्तविक मौके अनुसार ही विधि सम्मत आदेश पारित करे तथा उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर, उभयपक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार कर गुणावगुण पर आदेश पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

17/9/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 17.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/9/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर